संख्या-49/2017-1931 ई-2/तेरह-2017-25/2015

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 06 अक्टूबर,2017

विषय:-मेसर्स रीकृति डिस्टीलरी प्रा0लि0, कन्नौज को आसवनी स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-जी-36/दो-प्रा0डी0-153, दिनांक 02 अगस्त,2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 13-9-2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1931 ई-2/तेरह-2017-25/2015, दिनांक 18 सितम्बर,2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में शीरे से अल्कोहल (औद्योगिक अल्कोहल एवं पेय मदिरा) का उत्पादन करने वाली आसवनियों को गैर शीरा पदार्थ (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटेरियल) से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन तथा गैर शीरा पदार्थ से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन के लिये नई आसवनी स्थापना की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-15/2016-676 ई-2/तेरह-2016-54/2014, दिनांक 18 मार्च,2016 द्वारा नीति निर्धारित की गई है। तद्क्रम में आपके उक्त संदर्भित पत्र दि0 02 अगस्त,2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 13-9-2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1931 ई-2/तेरह-2017-25/2015, दिनांक 18 सितम्बर,2017 में की गई संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-15/2016-676 ई-2/तेरह-2016-54/2014, दिनांक 18 मार्च,2016 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीन मे0 रीकृति डिस्टीलरी प्रा0लि0, कन्नौज को 100 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 300 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता के अन्तर्गत 200 लाख लीटर वार्षिक अर्थात् 66.66 किली0 प्रतिदिन (ग्रेन, आलू और शीरे) पर आधारित पेय मदिरा का उत्पादन/विक्रय करने एवं शेष 100 लाख लीटर अर्थात् 33.33 किली0 प्रतिदिन (शीरा आधारित) औद्योगिक क्षमता के उपयोग के अन्तर्गत इकाई द्वारा आर0एस0/ई0एन0ए0/ डी0एस0/एस0डी0एस0/डिनेचर्ड एथनॉल का उत्पादन करने के निमित्त आसवनी स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।